श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2011 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण हेतु जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थित पदाधिकारी सदस्य :–

1.	कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर–	अध्यक्ष।
2.	राजीव प्रसाद सिंह रंजन, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर–	सदस्य।
3.	मीना सिन्हा, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर–	सदस्य सचिव।
4.	उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर–	सदस्य।
5.	रमेश चन्द्र प्रसाद, अनुमंडल, कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर–	सदस्य।
6.	थानाध्यक्ष, अनु0जाति/ज0जाति थाना, मुंगेर–	सदस्य।

उपस्थित गैर सरकारी सदस्य :–

1.	गौरी कुमारी, सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं अधिवक्ता, सदर अस्पताल, मुंगेर –	सदस्य।
2.	मो0 महफूज़ आलम, अध्यक्ष, पनाह आश्रम, पड़हम, फरदा–	सदस्य।
3.	फूलेन्द्र चौधरी, सचिव, बैघनाथ बालिका मूक बधिर आवासीय विद्यालय, धोसीटोला, मुंगेर –	सदस्य।
4.	रूपक कुमारी, एन0जी0ओ0, अंगिका महिला विकास संगठन, बेकापुर, मुंगेर –	सदस्य।

अनुपस्थित पदाधिकारी सदस्य :–

1.	पुलिस अधीक्षक, मुंगेर–	सदस्य।
2.	कार्य0 अभि0, लघु सिंचाई प्रमंडल, मुंगेर–	सदस्य।
3.	जिला मत्स्य पदाधिकारी, मुंगेर –	सदस्य।

सर्वप्रथम पूर्व आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा की गयी। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

प्रस्ताव संख्या :– 01

पूर्व में यह बैठक दिनांक 18.12.2010 को आयोजित की गयी थी। ज्ञातव्य हो कि यह बैठक तीन माह में कम–से–कम एक बार आयोजित होना चाहिए, किन्तु विगत 6 माह बाद यह बैठक आयोजित की गयी है।

जिला कल्याण पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आगामी अवधि में यथासंभव दो माह में एक बार लेकिन किसी भी परिस्थिति में तीन माह में एक बार यह बैठक अवश्य आयोजित की जाय। **(अनुपालन– जिला कल्याण पदाधिकारी)**

<u>प्रस्ताव संख्या :– 02</u>

सरकार के सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 1/पी0सी0आर0 (विविध)–09–32/2010–1041, दिनांक 04.05.2011 के आलोक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम– 1989 एवं नियम 1995 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण (नियम –17(2) के आलोक में) समिति के निम्नांकित क्रमांक 4, 5 एवं 6 पर उल्लेखित सदस्यों का पुनः मनोनयन किया जाना है :–

(1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित राज्य सरकार के तीन समूह "क" के अधिकारी/राजपत्रित पदाधिकारी। (गठित समिति के क्रमांक 04)

(2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिक से अधिक गैर सरकारी सदस्य। (गठित समिति के क्रमांक 5)

(3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भिन्न प्रवर्ग के ऐसे अधिक से अधिक तीन सदस्य होंगे, जो गैर सरकारी संगठनों से सम्बद्ध है। (गठित समिति के क्रमांक 06)

अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त मनोनयन के संदर्भ में जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि सदस्यों को नामित करने हेतु उनके बायोडाटा के साथ नाम का प्रस्ताव 15 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। **(अनुपालन– जिला कल्याण पदाधिकारी)**

<u>प्रस्ताव संख्या :– 03</u>

जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार से संबंधित कोई भी मामला लंबित नहीं है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नियमावली 1995 के नियम 12 (4) में अपराध का नाम एवं राहत की न्यूनतम राशि इंगित की गयी है। जिला कल्याण पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत् मात्र 15 एफ0आई0आर0 की छायाप्रति संबंधित थानाध्यक्ष से प्राप्त हुए जिनमें विभिन्न कागजात अपूर्ण रहने के कारण उन्हें वापस थानाध्यक्ष को पूर्ण प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु भेजा गया है। प्रथम द्रष्टया स्पष्ट है कि कई ऐसें भी मामले भी संज्ञान में आए है जो सामान्य थानों से संबंधित होते है और उन्हें भी राहत की राशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जाती है। अतएव ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा एक पंजी संधारित की जाय जिसमें किसी भी [illegible] की जाय एवं तबतक उसका [illegible] में समाप्त नहीं हो जाता है। [illegible] (अनुपालन– जिला कल्याण पदाधिकारी)

प्रस्ताव संख्या :– 04

जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अबतक जितने मामले स्वीकृत किये गये हैं उनकी सूची तैयार कर लोक अभियोजक को उपलब्ध कराते हुए संबंधित मामले की वास्तविक स्थिति का अद्यतन प्रतिवेदन की मांग करें। साथ ही जिला कल्याण कार्यालय में संधारित उक्त मामले से संबंधित सूची पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को उपलब्ध कराते हुए इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया जाय कि उक्त सूची में वर्णित वाद के अतिरिक्त और कोई वाद हो तो उसका विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थानों में दर्ज ऐसे कांडों की सूची तैयार की जायेगी जिसमें पीड़ित को किसी प्रकार की राहत देय हो सकती हो। **(अनुपालन– जिला कल्याण पदाधिकारी)**

प्रस्ताव संख्या :– 05

बैठक में उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 09.07.2011 को जिला परिषद् सभागार में जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों/प्रखंड विकास पदाधिकारियों/अंचल अधिकारियों/प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाय।

(अनुपालन– उप विकास आयुक्त/जिला कल्याण पदाधिकारी)

प्रस्ताव संख्या :– 06

पूर्व में दिनांक 15.07.2010 को आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में 74 के विरूद्ध शेष 28 पीड़ितों के लंबित भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस परिपेक्ष्य में क्रमांक 16 पर अंकित पीड़िता मंजू देवी, पति–स्व0 सोने लाल राउत, सा0– खलासी, मो0+थाना– जमालपुर, मुंगेर को राहत की राशि हेतु निर्गत चेक में उनके द्वारा आपत्ति की गयी कि चेक में उनका नाम गलत है। इस निमित्त प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जमालपुर से करायी गयी जांच एवं दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पाया गया कि वास्तव में उनका नाम मधु देवी के स्थान पर मंजू देवी टंकित हो गया है।

अतएव निर्णय लिया गया कि निर्गत चेक में उनके नाम को सुधार कर पुनश्च चेक निर्गत किया जाय। **(अनुपालन– जिला कल्याण पदाधिकारी)**

प्रस्ताव संख्या :– 07

जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर ने बताया कि बार–बार पत्राचार के पश्चात् भी अत्याचार अनुदान संबंधी विहित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन के साथ अन्य वांछित कागजात सहित आवेदन पत्र थाना से अप्राप्त है, फलतः अनुदान स्वीकृति की दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई करने में कठिनाई हो रही है। इस परिपेक्ष्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति थाना के उपस्थित थानाध्यक्ष को अध्यक्ष महोदय द्वारा शीघ्र अनुदान स्वीकृति हेतु वांछित कागजात जिला कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– थानाध्यक्ष, अनु0 जाति/अनु0 जनजाति थाना, मुंगेर)

प्रस्ताव संख्या :– 08

बैठक में निर्णय लिया गया कि उपरोक्त विषय से संबंधित आगामी बैठक विभागीय पत्र के आलोक में दिनांक 13.07.2011 को आयोजित की जाय।

(अनुपालन– जिला कल्याण पदाधिकारी)

तत्पश्चात् सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

28/6/11

28/06/11
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 584 / कल्याण, दिनांक 29/6/11

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, मुंगेर / उप विकास आयुक्त, मुंगेर / सभी पुलिस उपाधीक्षक / सभी थानाध्यक्ष / थानाध्यक्ष, अन0 जाति एवं अनु0 जनजाति, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. उप निदेशक, कल्याण, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/6/11

28/06/11
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 584 / कल्याण, दिनांक 29/6/11

प्रतिलिपि :– सभी माननीय सदस्यगण, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति, जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

28/6/11

28/06/11
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 584 / कल्याण, दिनांक 29/6/11

प्रतिलिपि :– सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/6/11

28/06/11
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।